

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu  
राजभाषा विभाग / Rajbhasha Vibhag,  
दमण / Daman.

रा.भा. 7(2)/अनु.कार. /2018/ 192/140

दिनांक :- 29/11/2018

परिपत्र / CIRCULAR

विषय :- कार्यालयों द्वारा हिन्दी में 90% पत्राचार किये जाने के बारे में :

संदर्भ :- सं.रा.भा.7(1)/राकास,अनु. का/2018/कार्यवृत्त मद सं.-1.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सभी सदस्य कार्यालयाध्यक्षों को यह सूचित करना है कि दिनांक 20/11/2018 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में माननीय उप-सचिव (राजभाषा) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि दमण एवं दीव ख क्षेत्र में शामिल होने कारण राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य कार्यालयाध्यक्ष हिन्दी में 90% पत्राचार करना सुनिश्चित करेंगे और इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता हेतु राजभाषा विभाग से संपर्क करेंगे ।

( डॉ. अनिल कोशिक )  
सहायक निदेशक (राजभाषा)

दमण

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, दमण ।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. प्रशासक के निजी सचिव सचिवालय, दमण ।
2. सचिव (राजभाषा) सचिवालय, दमण ।
3. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण ।
4. उप-निदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या-601, सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 ।
5. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध सहित ।
6. कार्यालय प्रति ।